दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, बुधवार 15 नवंबर 2023

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

सारंगढ़ में 15 और 16 नवंबर को कर सकते हैं डाकमत पत्र से मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने निर्वाचन कार्मिकों के लिए 14 से 16 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बजे तक डाकमत पत्र से मतदान करने के लिए तीन मतदान सुविधा केन्द्र संचालन का आदेश जारी किया है। इन केन्द्रों में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी डाकमत पत्र से मतदान कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर सारंगढ़ और खेलभांठा मैदान के सुविधा केन्द्र में डाकमत पत्र से मतदान करने के लिए 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और 16 नवंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान दल की सुविधा प्रदान की गई है। कृषि उपज मंडी प्रांगण सारंगढ़ के सुविधा केन्द्र में सिर्फ 16 नवंबर 2023 को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक डाकमत पत्र से मतदान करने के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों.कर्मचारियों को डाक मत पत्र के माध्यम से सुविधा केन्द्र में मतदान कराए जाने का प्रावधान किया है।

16 और 17 नवंबर को अखबार में छपने वाले राजनीतिक विज्ञापन का पूर्वप्रमाणन आवश्यक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में मतदान दिवस 17 नवंबर एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व 16 नवंबर को प्रिंट मीडिया अखबार में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन का पूर्वप्रमाणन आवश्यक है। राजनीतिक विज्ञापन के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या अन्य संस्थान मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराने वाले राजनीतिक विज्ञापन का प्री सर्टिफिकेशन अवश्य कराएं। जनपद पंचायत सारंगढ़ में एमसीएमसी टीम में प्रीसर्टिफिकेशन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्वाचन कार्मिकों के लिए 15 नवंबर की रात ठहरने के लिए सारंगढ़ में किया गया व्यवस्था

सीएमओ राजेश पांडेय से मोबाइल नंबर 9827932711 पर कर सकते हैं संपर्क

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी द्वारा जिले के निर्वाचन कार्मिकों के लिए 15 नवंबर 2023 की रात को सारंगढ़ में ठहरने के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) राजेश पांडेय को निर्देशित किया गया है। ऐसे निर्वाचनकर्मी जो सारंगढ़ में 15 नवंबर 2023 की रात को ठहरना चाहते हैं वे सीएमओ पांडेय से मोबाइल नंबर 9827932711 पर संपर्क कर सकते हैं। सारंगढ़ के बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा एवं अन्य स्थानों में रात ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि जिले के निर्वाचन कार्मिकों को 16 नवंबर 2023 की सुबह 6 बजे मतदान सामग्री प्राप्त करना है।

मतदान दल के लिए मतदान केन्द्र में किया गया कैम्प व्यवस्था

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचन दल के ठहरने के लिए आवश्यक विद्युत, भोजन, पेयजल, शौचालय आदि का व्यवस्था किया गया है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2023 को मतदान दल को सभी मतदान केन्द्रों में पहुंचने के लिए रवाना किया जाएगा। 16 नवंबर की रात को वे मतदान केन्द्र में ठहरेंगे और 17 नवंबर 2023 को मतदान कार्य करेंगे।

जिला निर्वाचन और पुलिस टीम का संयुक्त रूप से होगा कार्यवाही

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशानुसार जिले में तैनात उड़नदस्ता, स्थैतिक जांच दल और वीडियो निगरानी दल, पुलिस द्वारा गठित जांच दल के साथ समन्वय कर संयुक्त रूप से निर्वाचन के दौरान जांच कर कार्यवाही करेगा और सतत् निगरानी रखेगा

पुलिस प्रेक्षक मीणा ने साराडीह और टिमरलगा एफएसटी दल के कार्यों को जांचा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। पुलिस प्रेक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने सक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सीमा पर जाँच कर रहे एफएसटी दल के कार्यों का अवलोकन किया। मीणा ने एफएसटी साराडीह और टिमरलगा में जांच दल के रजिस्टर का अवलोकन किया। मीणा ने जांच दल कर्मियों को कहा कि मतदान तक विशेष रूप से पैसे, सामान आदि का आवागमन होता हैए इसका ध्यान रखते हुए गंभीरता से कार्य करें। मीणा ने जांच दल के अलावा मतदान केंद्र टिमरलगा, ग्वालीनडीह, भेड़वन, हिर्री, हरदी और रेड़ा के मतदान केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित बीएलओ को तंबाकू मुक्त मतदान केंद्र बनाने के आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023... कलेक्टर कार्तिकेया गोयल पहुंचे केआईटी, मतदान सामग्री वितरण/वापसी व्यवस्था की ली जानकारी

- विधान सभावार ईवीएम वितरण स्टॉल की ली जानकारी, रूट मैप के संबंध में दिए दिशा-निर्देश
- कलेक्टर गोयल ने नोडल अधिकारियों की ली बैठक, कहा अलर्ट रहते हुए कार्यवाही करें सुनिश्चित

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 17 नवंबर को होने जा रहे विधान सभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल व एसएसपी सदानंद कुमार केआईटी स्ट्रॉन्ग रूम परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा वार बनाए जा रहे मतदान सामग्री वितरण, बूथ तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट और सभी रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने तीनों विधान सभाओं के सामग्री वितरण की रूपरेखा की जानकारी लेते हुए, पोलिंग पार्टी के आवागमन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के लिए सामग्री वितरण स्टॉल तक आवागमन सुनियोजित होनी चाहिए, इसके साथ ही पोलिंग बूथ टीम के पुलिस सदस्य के लिए स्टॉल हो, जिससे टीम बेहतर ढंग से समन्वय कर पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए। उन्होंने विधान सभाओं के सामग्री वितरण की जानकारी हेतु फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिए, ताकि मतदान दलों को आवश्यक परेशानी न हो। इस दौरान उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ को पर्याप्त बस एवं पार्किंग के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विधान सभावार बसों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए, जिससे जाम की स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए उन्होंने पुलिस

जवान भी तैनात करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने सामग्री वितरण/वापसी परिसर में पेड भोजन की व्यवस्था की जानकारी ली। खाद्य विभाग द्वारा जानकारी की गई कि परिसर में कम दाम पर भोजन की सुविधा उपलब्ध की गई है। इस दौरान कलेक्टर गोयल ने टॉयलेट के संबंध में जानकारी लेते हुए, चलित टॉयलेट की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल हेतु कार्यपालन अधिकारी पीएचई को निर्देशित किया। मतदान दलों को प्रदान की जाने वाली मेडिकल किट के संबंध में जानकारी लेने पर सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर ने बताया कि मतदान दलों के लिए मेडिकल किट बनाए गए है, जो प्रत्येक मतदान दल को प्रदान किया जा रहा हैं। इसके साथ ही एंटीवेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस दौरान कलेक्टर गोयल स्ट्रॉन्ग रूम भी पहुंचे, यहां उन्होंने सभी से सामग्री वितरण के संबंध में निर्देश देते हुए उनसे रूट मैप की जानकारी ली तथा वितरण पश्चात सामग्री वापसी हेतु आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित रूट अनुसार ही सामग्री का आवागमन किया जाए। इस अवसर पर समस्त एसडीएम, आरओ, पीएचई, खाद्य विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सहित विभागीय व नोडल अधिकारी उपस्थित रहें।

मतदान दलों के सामग्री वितरण स्थल तक पहुंचने हेतु की गई बसों की व्यवस्था

मतदान दलों के लिए 15 नवम्बर को दोपहर 12 बजे नियत स्थान से रवाना होगी बसें

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में मतदान दलों के सुविधानुसार सामग्री वितरण स्थल तक पहुंचने हेतु बसों की व्यवस्था की गई है। यह बसें 15 नवम्बर को दोपहर 12 बजे अपने निर्धारित स्थल से सामग्री वितरण केन्द्र के लिए रवाना होगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि खरसिया से रायगढ़ केआईटी कालेज तक 10 बसों की व्यवस्था की गई है। जो तहसील कार्यालय परिसर खरसिया से 15 नवम्बर को दोपहर 12 बजे रायगढ़ केआईटी कालेज के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार पुसौर से केआईटी कालेज तक 5 बसों की व्यवस्था की गई है। जो दोपहर 12 बजे बोरोडीपा मैदान पुसौर से केआईटी कालेज के लिए रवाना होगी। इसी तरह रामेश्वर गहिरा गुरू महाविद्यालय मैदान कुंजारा लैलूंगा से 5 बस, जनपद पंचायत परिसर घरघोड़ा से 5 बस, तहसील कार्यालय परिसर तमनार से 5 बस, डाईट मैदान धरमजयगढ़ से 10 बसे दोपहर 12 बजे रायगढ़ के लिए रवाना होगी तहसील कार्यालय परिसर खरसिया से 5 बस, बोरोडीपा मैदान, पुसौर से 5 बस, केआईटी कालेज रायगढ़ से 5 बस, रामेश्वर गहिरा गुरू महाविद्यालय मैदान कुंजारा लैलूंगा से 5 बस तथा तहसील कार्यालय परिसर तमनार से 4 बस दोपहर 12 बजे धरमजयगढ़ के लिए रवाना होगी। इसके अतिरिक्त मतदान दल के सदस्यों को रायगढ़ जिला मुख्यालय में ठहरने में कोई समस्या हो तो लाइवलीहुड कॉलेज गढ़उमरिया और रैन बसेरा रायगढ़ में रुक सकते हैं।

गढ़उमरिया लाइवलीहुड कॉलेज भवन में की गई है मतदान दलों के रुकने की व्यवस्था

- प्रथम फ्लोर महिलाओं के लिए आरक्षित

रायगढ़। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदान दल शहर के केआईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम से मतदान मशीन आदि लेने एवं जमा करने आएंगे। मशीन आदि को लेने और छोडऩे वाले मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था गढ़उमरिया लाइवलीहुड कॉलेज में की गई है। जहां प्रथम तल महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा, वहीं ग्राउंड फ्लोर एवं भवन के अन्य स्थलों पर पुरुष मतदान दलों के रुकने की व्यवस्था की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 17 नवंबर को निर्वाचन के लिए मतदान दलों द्वारा मतदान मशीन, सहित जरूरी दस्तावेज लेने 15 एवं 16 नवंबर की दरमियानी रात पहुंचेंगे। इसी तरह मतदान होने के उपरांत मतदान दलों को मतदान मशीन आदि को जमा करने के लिए के आईटी कॉलेज स्ट्रांग रूम पहुंचाना होगा। इसमें जिले भर के विभिन्न विधानसभा से 15 नवंबर की रात या 16 नवंबर को मशीन लेने और मतदान होने के उपरांत 17 की शाम या रात से मशीन को छोडऩे का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें जिले की अंतिम छोर के मतदान केन्द्रों से मशीन लेने और छोडऩे आने वाले मतदान दलों को रुकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। जिसे देखते हुए यहां मतदान दलों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। गढ़उमरिया स्थित लाइवलीहुड कॉलेज को मतदान दलों के ठहरने के लिए आरक्षित रखा गया है। यहां लगभग 500 मतदान कर्मियों के रोकने के हिसाब से मूलभूत सुविधा युक्त रखा गया है, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर 5 हाल एवं भवन के अन्य स्थलों पर 400 से ज्यादा मतदान दल के पुरुष कर्मचारियों के रुकने की व्यवस्था होगी। वही लाइवलीहुड कालेज के प्रथम तल में लगभग 50 से ज्यादा महिला कर्मचारियों के रूकने के लिए आरक्षित रखा गया है। मतदान दलों को अपने-अपने मतदान मशीनों और आवश्यक दस्तावेजों आदि को लेने और जमा करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए मतदान दलों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ रुकने की व्यवस्था की गई है।

मतदान में 72 घंटे शेष, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी एनफोर्समेंट एजेंसी से कहा लगातार करें निगरानी

- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने किया निर्देशित
- मतदान दिवस को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की दी जानकारी

रायगढ़। आगामी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां, जिले में पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा सभी रिटर्निंग ऑफिसर, उडऩदस्ता दलों स्थैतिक निगरानी दलों तथा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक लेकर आगामी 72 घंटों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर गोयल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उडऩदस्ता दल और स्थैतिक निगरानी दल के सदस्य आगामी 72 घंटों में विशेष रूप से सक्रिय रहें तथा सामुदायिक भवन, गेस्ट हाउस एवम धर्मशालाओं में होने वाले आयोजनों पर विशेष नजर रखी जाए और मैरिज हॉल/सामुदायिक भवन इत्यादि में किसी प्रकार के उपहार वितरण या दावत पर कड़ी निगाह रखी जाए। किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रलोभन नही होना चाहिए।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 15 नवम्बर की शाम 05 बजे से मतदान दिवस तक सभी मदिरा दुकानें/बार बंद रहेंगे। सभा, रैली, रोड शो के माध्यम से मत याचना/प्रचार बंद रहेंगे। अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए भीड़ भाड़ के बिना जनसंपर्क कर सकेंगे। इस अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता प्रत्येक के लिए एक वाहन सहित अधिकतम तीन वाहन के उपयोग की अनुमति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायगढ़ से प्राप्त करनी होगी। अनुमति की प्रति वाहन के विंडस्क्रीन पर डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर गोयल द्वारा सभी उडऩदस्ता दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवंबर के शाम 5 बजे के पूर्व बाहरी व्यक्ति विशेष रूप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिले में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। गोयल द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अभियान संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि और अव्यवस्थित आचरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निर्वाचन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को छोड़कर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदाता पर्चियां केवल सादे कागज में होंगी इसमें किसी दल/अभ्यर्थी का नाम अथवा निशान नहीं होगा।

कलेक्टर व एसएसपी के साथ सुरक्षाबलों ने किया शहर में फ्लैग मार्च

- जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सशस्त्र बलों के साथ निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के मतदान से पहले 14 नवम्बर को शाम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल एवं एसएसपी सदानंद कुमार ने रायगढ़ मुख्यालय में उपलब्ध अर्धसैनिक बलों तथा स्थानीय पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहे।

17 नवम्बर को जिले में मतदान होगा। मतदान के पूर्व जन सामान्य को सुरक्षा का बोध कराने का संदेश देने आज जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतदान के 72 घंटे पूर्व फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि शहर वासियों में शांतिपूर्ण मतदान हेतु सुरक्षित वातावरण निर्मित किया जा सके। कलेक्टर गोयल ने सभी जनसामान्य को 17 नवम्बर को होने वाले मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। इसके साथ ही निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं शिकायत हेतु जिला प्रशासन द्वारा हेल्प लाईन नंबर 1950 जारी किया गया है। जिसमें निर्वाचन क्षेत्र में अनियमितता पाये जाने पर उक्त नंबर पर शिकायत दर्ज कराने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने कहा कि मतदान से पूर्व फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स की मूवमेंट बनी रहे। इसके साथ ही फोर्स को क्षेत्र की समझ हो और आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। जिससे निर्वाचन दिवस पर अप्रिय घटना होने पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। आज जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च के अलावा सभी अनुभाग में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संवेदनशील मतदान केन्द्रों को पूर्व ही चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही जिले की सीमाओं पर सघन नाकेबंदी अभियान एवं बाहरी व्यक्तियों के आवाजाही पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। अवैध शराब, अवैध राशि, मादक पदार्थो के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है किसी भी स्थिति में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने वालों को कठोर कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में फ्लैग मार्च कार्यक्रम अनुसार आज संध्या कलेक्टर एवं एसएसपी ने सिटी कोतवाली से हण्डी चौक, घड़ी चौक, सत्तीगुड़ी चौक के अलावा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में पैदल घूमते हुए पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु अर्धसैनिक बलों की विभिन्न कंपनियां आयी हुयी है। जिसमें जिले के स्थानीय पुलिस बल मिलकर अपने-अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे है। जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने मतदाताओं से निष्पक्ष, निर्भीक, निडर एवं भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की।

432 लीटर हाथ भट्ठी शराब एवं 1600 किलो ग्राम महुआ लाहन पकड़ाया

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर मदिरा के अवैध भंडारण, विक्रय एवं परिवहन को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं आबकारी आयुक्त रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त-रायगढ़ दक्षिण के आबकारी उप निरीक्षक विकास पाल साण्डे के द्वारा ग्राम-टपरदा, थाना-पुसौर में 13 नवम्बर को 217 लीटर हाथ भट्ठी शराब एवं 800 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई। इसी प्रकार उसी दिन आबकारी वृत्त-रायगढ़ उत्तर के आबकारी उप निरीक्षक हाबिल खलखो द्वारा सुखा नाला, गोवर्धनपुर रायगढ़ में 215 लीटर हाथ भट्ठी शराब एवं 800 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई। इस प्रकार कुल 432 लीटर हाथ भट्ठी शराब एवं 1600 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई है। निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में लगातार सघन गश्त किया जाकर आबकारी अमला द्वारा जांच चौकियों में भी निगरानी रखी जा रही है एवं प्रकरण प्रकाश में आने पर तात्कालिक रूप से कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक कमलेश कुमार दुबे एवं नेलशन लबेट, आबकारी आरक्षक तुलेश्वर राठौर, राजेश्वर ठाकुर, कुलदीप ठाकुर एवं राधेगोविन्द पाण्डे, नगर सैनिक सरोज कंवर, सहयोगी ठण्डाराम यादव व संतोष कुमार यादव शामिल रहे।

अंधे कत्ल का खुलासा : घरघोड़ा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, बस स्टैंड घरघोड़ा के समीप मोटर गैरेज के पीछे मिला था युवक का शव

- घटना के पहले दोनों आरोपी और मृतक ने साथ पीए थे शराब, फिर झगड़ा व मारपीट में ईंट और धारदार हथियार से की थी युवक की हत्या

रायगढ़। 13 नवंबर के सुबह थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड मीरखुर्सेद अली के मोटर गैरेज के पीछे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चन्द्रा व स्टाफ मौके पर पहुंचे। वर्तमान में सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच संदिग्ध शव की सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी धरमजयगढ दीपक मिश्रा भी मौके के लिए रवाना हुए। घरघोड़ा पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया गया। शव के सिर और कान के पास गंभीर चोट से मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रतीत हो रहा था। पुलिस की जांच पड़ताल के बीच मृतक की पहचान घरघोड़ा वार्ड नंबर 10 में रहने वाले तिलक पैकरा (उम्र 25 साल) के रूप में हुई। मृतक के परिजन बताये कि तिलक पैकरा रंग, पुताई का काम करता था। घरघोड़ा पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृतक की मृत्यु हत्यात्मक होना तथा घटना 12 से 24 घंटे पहले की होनी की जानकारी प्राप्त हुई। मर्ग जांच दौरान गवाहों के कथन शॉर्ट पीएम पर थाना घरघोड़ा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीकृत कर घरघोड़ा पुलिस ने एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन में जांच आगे बढ़ाई। जांच क्रम में तत्काल मृतक तिलक पर के साथ घूमने फिरने और काम करने वाले लोगों को एक-एक कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज पुलिस ने खंगाले। पीएम रिपोर्ट अनुसार घटना 12 से 24 घंटे पहले का होना बताया गया जिसे पर पुलिस ने बीते रात तिलक पैकरा के संपर्क में आए लोगों की पतासाजी में एक टीम को लगाया गया। इसी दरम्यान पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 04 में रहने वाले दयाराम खांडे और उसका साथी (एक किशोर बालक) तिलक पैकरा के साथ 12 नवंबर, दीपावली की रात घूमते देखे गए हैं तत्काल पुलिस ने दोनों संदेहों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया। दोनों ने घटना को स्वीकार कर दीपावली की रात तिलक के साथ मोटर गैरेज के पीछे शराब पीना और दोबारा शराब लाने के लिए तिलक पैसा नहीं देने पर ईट और चाकू से तिलक की हत्या करना स्वीकार किया कर घटना का वृतांत बताए।

आरोपियों ने बताया कि दीपावली की रात (12 नवंबर) तीनों एक साथ शराब पीकर बस स्टैण्ड घरघोड़ा में घुम फिर रहे थे, रात्रि करीबन 11.30 बजे तीनों फिर से बस स्टैण्ड घरघोड़ा के पास स्थित मीर खुर्सीद गैरेज के पीछे बैठकर शराब पिये। उसी समय दोनों तिलक पैंकरा से शराब लाने के लिए 500 रूपये मांगे तो तिलक रूपये देने से मना किया जिस पर दयाराम खाण्डे वहीं पास में पड़े ईंट से तिलक पैंकरा के सिर में दो-तीन बार मारा और विधि से संघर्षरत बालक अपने पास में रखे चाकू से तिलक पैंकरा के सिर पर मारकर चोट पहुंचाया जिससे तिलक की मृत्यु हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने तिलक पैंकरा के पेंट में रखे 2500 रूपये और एक रियलमी कंपनी के टच स्क्रीन मोबाईल लेकर भाग गये। आरोपियों के मेमोरंडम पर खून लगे ईंट के टुकड़े, मृतक का मोबाईल, नगदी रकम 500 रूपये और एक धारदार एवं नुकीला चाकू बरामद कर जप्त किया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपित दयाराम खाण्डे पिता सिरतीराम खाण्डे उम्र 40 वर्ष सा. वार्ड क्र. 04 घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) एवं विधि से संघर्षरत बालक को आज रिमांड पर भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर ब्लाइंड मर्डर के वारदात का त्वरित रूप से खुलासा करने में एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा का सतत पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, उप निरीक्षक करमू साय पैकरा, सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, आरक्षक उधो पटेल और प्रहलाद भगत की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480